न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश तृतीय,
भोजपुर आरा।
निष्पादन वाद संख्या-05/2024

आर्शीवाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय 9 एवं 10 फ्लोर नम्बर 9, क्लब हाउस रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002

प्रशासनिक कार्यालय iv/471A (old), W638(New), मनप्पुरम हाउस, वलप्पड़

.....डिक्रीधारक

बनाम

1. सरोज पाण्डेय, पिता– राम पुकार पाण्डेय, बलुआ हाई स्कूल, बी0ओ0 पीपरापाती, भोजपुर, बिहार 80231

2. राम पुकार पाण्डेय, बलुआ हाई स्कूल, बी0ओ0 पीपरापाती, भोजपुर, बिहार 802351

.....विपक्षी

आदेश

27-04-2026 प्रस्तुत निष्पादन वाद धारा 36 स0 पठित धारा 2(E) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 और आदेश 21 नियम 11(2) दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत डिक्रीधारक की ओर से मध्यस्थता न्याधिकरण द्वारा मध्यस्थता वाद संख्या 528/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2023 के अनुसार विपक्षी (निणीति ऋणी) से 60,936/– रूपए भविष्य में देय व्याज 18 प्रतिशत वार्षिक दिनांक 12.11.2022 से वास्तविक वसूली तक और खर्चे के रूप में 2770/– रूपये की वसूली के लिए दायर किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल इस वाद को सुनवाई हेतु ग्रहण किए जाने के उपरांत विपक्षी (निणीति ऋणी) को नोटिस निर्गत किया गया है, जिसके अनुसरण में दिनांक 17.08.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी की उपस्थिति हुए किन्तु कई तिथियों एवं अनेकों अवसर देने के उपरांत भी विपक्षी के द्वारा न तो कोई जबाब फाइल किया गया और न ही याचिकाकर्ता को देय राशि का भुगतान ही किया गया। दिनांक 28.01.2026 को न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन जिसमें उपरोक्त अवार्ड धनराशी की वसूली हेतु विपक्षी इस संपति को कुर्की किये जाने हेतु दिये गये आवेदन को स्वीकार किया गया और तद्नुसार उसपर आदेश पारित किया गया।

अतः इन परिस्थितियों में डिक्रीधारक आर्शीवाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा निणीति ऋणी सरोज पाण्डेय एवं राम पुकार पाण्डेय के विरूद्ध दाखिल उपरोक्त निष्पादन वाद संख्या 05/2024 को मंजूर किया जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता अधिकरण के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल वाद में यह अवार्ड पारित किया गया कि याचिकाकर्ता 60,936/– रूपये तथा उसपर दिनांक 12.11.2022 से वास्तविक वसूली किये जाने तक 18 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से भविष्यकालिन ब्यान भी प्राप्त करने का हक्दार है तथा खर्चे के रूप में 2770/–रूपये भी विपक्षी से प्राप्त करने का हक्दार है। मूलधन के रूप में 60,936/– रूपये, भविष्यकालिन ब्याज की धनराशी 38,389/– रूपये खर्चे के रूप में 2770/– रूपये कुल मिलाकर 1,02,095/– रूपये याचिकाकर्ता विपक्षीगण से प्राप्त करने का हक्दार है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के उपरांत विपक्षीगण सरोज पाण्डेय एवं राम पुकार पाण्डेय कि चल–अचल संपति से डिक्रीधारक को देय कुल राशी 1,02,095/–(एक लाख दो हजार पंचानब) रूपये की वसूली हेतु जिला कलेक्टर आरा को प्राधिकृत किया जाता है और यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त धनराशी की वसूली उपरांत इस न्यायालय में जमा किया जाये, जिससे कि उसका भुगतान याचिकाकर्ता को किया जा सके। तद्नुसार इस वाद को निष्पादित किया जाता है तथा कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा कराएं।

लेखापित

27-4-26

अपर जिला न्यायाधीश तृतीय
भोजपुर, आरा

निणीति ऋणी का नाम व पताः–
1. सरोज पाण्डेय, पिता– राम पुकार पाण्डेय,
बलुआ हाई स्कूल,
बी0ओ0 पीपरापाती, भोजपुर, बिहार 80231
2. राम पुकार पाण्डेय,
बलुआ हाई स्कूल,
बी0ओ0 पीपरापाती, भोजपुर, बिहार 802351